न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीना, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 410/2024
सरकार जरिये तहसीलदार, फागी हाल माधोराजपुरा, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र श्री बालू, जाति–बारागांव, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. नारायण पुत्र श्री बलदेव, जाति–बारागांव, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. दुर्गा पुत्र श्री नाथू, जाति–बारागांव, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. नन्दकिशोर पुत्र श्री नाथू, जाति–बारागांव, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. भैरू पुत्र श्री रामरतन, जाति–बारागांव, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।(मृतक)
   - 5/1 सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री भैरू, जाति–बारागांव, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 5/2 रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री भैरू, जाति–बारागांव, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 5/3 लादी देवी पत्नी श्री मोहनलाल पुत्री स्व0 श्री भैरू, जाति–बारागांव, निवासी–ग्राम भाटेड, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 5/4 शान्ति देवी पत्नी श्री रामकिशोर पुत्री स्व0 श्री भैरू, जाति–बारागांव, निवासी–ग्राम भाटेड, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 5/5 रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री भैरू, जाति–बारागांव, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
6. निशा देवी पत्नी श्री सत्यनारायण, जाति–सुनार, निवासी–फागी पश्चिम, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेशकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 30.04.2026

तहसीलदार, फागी हाल माधोराजपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम फागी की आराजी खसरा नम्बर 5670 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 5672 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 5688 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 8 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर श्रीराम जी व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में बालू पुत्र रूघुनाथ व बलदेव पुत्र बिरदीचन्द व भैरू पुत्र रामरतन जाति बारागांव साकिन देह दर्ज है। जो बालू के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया। वारिसान द्वारा बैचान किये जाने पर क्रेता के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत् नाबालिक माना गया है। नाबालिक की आराजी कि खातेदारी अन्य को दिये जाना अनुचित है। अतः वादग्रस्त आराजी को पुनः मन्दिर श्रीराम जी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गऐ। अप्रार्थीगण बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने विद्वान् पेरोकार सराकर की बहस सुनी। विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011–2030 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मंदिर श्रीराम जी व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में बालू पुत्र रूघुनाथ व बलदेव पुत्र बिरदीचन्द व भैरू पुत्र रामरतन जाति बारागांव साकिन देह दर्ज है। जो बालू के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार कर दिया गया। वारिसान द्वारा बैचान किये जाने पर क्रेता के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत् नाबालिक माना गया है। नाबालिक की आराजी कि खातेदारी अन्य को दिये जाना अनुचित है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जां सकता हैं। विधिक दृष्टि में हिन्दू मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो गये हैं। माफी मन्दिर श्रीराम जी की

खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्रीराम जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011–2030 में मन्दिर श्रीराम जी दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी अथवा अन्य द्वारा काश्त भी की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी अथवा अन्य को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। मन्दिर श्रीराम जी की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित मन्दिर श्रीराम जी की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण ग्राम फागी पश्चिम वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं

ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस मन्दिर श्रीराम जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर